पत्र संख्या- वि-17/वी.संसा.नी-157/2013-969
बिहार सरकार,
वित्त विभाग

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव, संसाधन ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार सरकार के सभी विभाग,
पटना ।

पटना, दिनांक- 23 नवम्बर, 2015 ।

विषय- द्वितीय अनुपूरक एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी के संबंध में बैठक ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsorded Scheme) में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी में परिवर्त्तन किया गया है । इसकी सूचना योजना एवं विकास विभाग, बिहार के पत्रांक यो04/पी0-47/2015-5623 दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को दिया गया है । भारत सरकार के दिशा निदेश के आलोक में विमर्श हेतु सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज **दिनांक 23.11.2015 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष** में बैठक आयोजित की गयी है ।

इसी बैठक में आगामी विधान मंडल सत्र में पेश होने वाले द्वितीय अनुपूरक पर भी चर्चा होगी ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों विषयों के संबंध में सभी तैयारियों के साथ निश्चित रूप से ससमय बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

23/11

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव, संसाधन ।